## परिपत्र

निहित प्रावधानों के अन्तर्गत, प्रत्येक कर्मचारी को उसकी सेवा पुस्तिका के सत्यापन के लिए दिखा देनी चाहिए जिससे उन्हें संतुष्टी हो जाए कि कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में सेवा विवरण सही प्रकार से प्रत्येक कॉलम में दर्ज कर दिया गया है । इस प्रयोजन हेतु, सभी कर्मचारियों से आग्रह किया जाता है कि वे अपनी सुविधानुसार दिनाङ्क 3 से 7 जून, 2013, दोपहार 2.00 बजे सायं 5.00 बजे के मध्य सूत्रधार प्रभाग में जाकर, अपनी सेवा पुस्तिका देख सकते हैं। साथ ही साथ प्रत्येक कर्मचारी अपनी सेवा पुस्तिका में हस्ताक्षर भी कर दें, इससे बात की पुष्टि होगी कि कर्मचारी अपनी सेवा पुस्तिका में दर्ज विवरणों से सहमत हैं।

सभी कर्मचारियों से यह भी आग्रह किया जाता है कि वे अपने साथ अपनी नवीतम पास पोर्ट फोटो की एक प्रति लाएँ तथा सेवा रिकार्ड में दर्ज अपने स्थानीय आवासीय पते को भी अद्यतन करा लें।

सभी विभागों/एककों से अनुरोध है कि यह परिपत्र आवश्यक कार्यवाही हेतु अपने अधीनस्थ सभी कर्मचारियों के संज्ञान में लाएं।

(कैलाश चन्द्र पाण्डेय)
अवर सचिव (प्रशासन)

प्रतिलिपि :

1. सदस्य सचिव के वैयक्तिक सहायक
2. संयुक्त सचिव के वैयक्तिक सहायक
3. निदेशक के निजी सचिव
4. मुख्य लेखाधिकारी
5. सभी विभागाध्यक्षों /अधिकारियों को प्रेषित
